निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त सम्पन्न करायें सारण शिक्षक निर्वाचन : डीएम

● निर्वाचन की पारदर्शिता एवं मतपेटिकाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता ● भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें

बिहार विधान परिषद 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन मतदान दलों की हुई विस्तृत ब्रीफिंग

बेतिया। बिहार विधान परिषद् के 03-सारण शिक्षक निर्वाचन 2026 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज समाहरणालय सभागार, बेतिया में जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, तरनजोत सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक, बेतिया, कुमार गौतम एवं पुलिस अधीक्षक, बगहा, राजेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में ब्रीफिंग आयोजित की गई। इसमें प्रतिनियुक्त सुपर जोनल, जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारियों, पीठासीन पदाधिकारियों तथा संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्वाचन संबंधी दायित्वों एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, तरनजोत सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारी पूर्ण निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय बनाए रखते हुए निर्वाचन कार्यों का सुचारू रूप से संचालन करें। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया जाए। किसी भी प्रकार की समस्या अथवा अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मतदान समय पर प्रारंभ कराने, मतपेटिकाओं एवं मतपत्रों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मतदान केन्द्रों पर निर्धारित नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने पर विशेष जोर दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी तथा निर्धारित परिधि के भीतर अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग एवं सूचनाओं के समयबद्ध अद्यतीकरण का निर्देश देते हुए कहा कि डिस्पैच सेंटर से प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त निर्वाचन सामग्री का चेकलिस्ट से अनिवार्य रूप से मिलान कर लिया जाए, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। उन्होंने पी-1, पी-2 एवं पी-3 मतदान कर्मियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके दायित्वों के समुचित निर्वहन पर बल दिया। साथ ही, मतदाता पहचान पत्रों के सत्यापन तथा मतदान के पश्चात मतपेटिकाओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा कराने सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं पर विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने की अपील की। वरीय पुलिस अधीक्षक, बेतिया, कुमार गौतम ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही या चूक नहीं होनी चाहिए। सभी पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करें तथा अपने दायित्वों का पूरी गंभीरता से निर्वहन करें।

वहीं, पुलिस अधीक्षक, बगहा, राजेश कुमार ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्धारित समय पर अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर पहुंचने तथा शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन सम्पन्न कराने का निर्देश दिया। संयुक्त ब्रीफिंग में उप विकास आयुक्त, काजले वैभव नितिन, अपर समाहर्ता, राजीव रंजन सिन्हा, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनिल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, अमरेन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्ता, श्रीमती रोचना माद्री, उप निर्वाचन पदाधिकारी, लालबहादुर राय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सौरभ आलोक सहित अन्य संबंधित जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

गंडक में डूबने से सात वर्षीय बच्चे की मौत

मधुबनी/भितहा (पश्चिम चंपारण)। भितहा थाना क्षेत्र के भुईधरवा पंचायत अंतर्गत चंदरपुर गांव में गंडक नदी के किनारे खेलने के दौरान पैर फिसलने से सात वर्षीय बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।मृतक की पहचान चंदरपुर गांव निवासी मुकेश गिरी के सात वर्षीय पुत्र श्याम गिरी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, श्याम गिरी चार-पांच हम उम्र बच्चों के साथ गंडक नदी के किनारे खेल रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। देखते ही देखते वह गहरे पानी में डूब गया।घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन सक्रिय हुआ। भितहा सीओ अमरदीप कुमार ने बताया कि बच्चे के नदी में डूबने की सूचना मिली है। एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी हुई है। शव बरामद होने के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पर भितहा थाना की पुलिस मौजूद रही।

पूजहां मनेजर चौधरी घाट के समीप दिखा मगरमच्छ, दहशत

बैरिया (आससे)। बैरिया। प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी पटजिरवा पंचायत स्थित पूजहां मनेजर चौधरी के घाट के समीप मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों की नजर नदी के आसपास मगरमच्छ पर पड़ी, जिसके बाद इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी गई। मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिलते ही घाट के आसपास लोगों की आवाजाही को लेकर चिंता बढ़ गई। ग्रामीणों का कहना है कि घाट के समीप लोग विभिन्न कार्यों के लिए आते-जाते हैं, ऐसे में मगरमच्छ की मौजूदगी से खतरा बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन एवं संबंधित विभाग से मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। ग्रामीणों ने नदी किनारे जाने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों का कहना है कि मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर हटाने के लिए वन विभाग की टीम को मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेना चाहिए, ताकि किसी अप्रिय घटना की आशंका को टाला जा सके।

इंटर्नशिप ट्रेनिंग शुरू, प्रशिक्षुओं को मिलेगा कुशल प्रशिक्षण

बगहा (आससे)। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बगहा अंतर्गत



इंटर्नशिप ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आवेदकों को विद्युत कार्यों से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करने के साथ उन्हें कार्यकुशल बनाना और कार्यालयीन अनुशासन से अवगत कराना है। इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियंता आलोक अमृत तशु ने बताया कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग के माध्यम से सभी आवेदकों को कुशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही उन्हें कार्यालय में कार्य करने की प्रक्रिया, अनुशासन और जिम्मेदारियों की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पहल से प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान आवेदकों को आवश्यक मार्गदर्शन देकर उनके कौशल को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि वे भविष्य में अपने कार्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकें।

53 मतदाता करेंगे मतदान

बैरिया (आससे)। बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन के तहत सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर बैरिया प्रखंड में प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के लिए प्रखंड कार्यालय में मतदान केंद्र संख्या-3 निर्धारित किया गया है। यहां कुल 53 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

मतदाता सूची में 46 पुरुष और सात महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक कराया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी पूजा कुमारी ने बताया कि मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

सात फुट लंबा अजगर का हुआ रेस्क्यू

वाल्मीकिनगर (पचं)। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वन प्रमंडल दो के वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र से सटे रिहायशी क्षेत्रों में वन्य जीवों के चहलकदमी से लोगो



में भय व्याप्त है।ये वन्य जीव लगभग हमेशा किसी न किसी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं।इसी क्रम में गुरुवार की सुबह गोल चौक से सटे टी एफ टी कॉलोनी निवासी जितेंद्र कुमार के दरवाजे के समीप रखे लकड़ी में वन क्षेत्र से निकल कर लगभग 7 फुट लंबा एक अजगर आ पहुंचा।जिसे देख लोगों में भय व्याप्त हो गया।ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन कार्यालय को दी गई।सूचना पर स्नेक कैचरों कि टीम मौके पर पहुंच कर कड़ी मशक्त के बाद अजगर का सफल रेस्क्यू कर जटाशंकर वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया।

बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

अत्यावश्यक सूचना

सभी संबंधित को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक, तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक, दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक, कोसी स्नातक तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात् ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के भी निर्वाचक होते हैं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक होने के कारण निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं। ऐसे मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर निर्वाचक अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है, जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार हैः-

(I) आधार कार्ड,
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(iii) पैन कार्ड,
(iv) भारतीय पासपोर्ट,
(v) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र,
(vi) सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
(vii) शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र,
(viii) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र,
(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, और
(x) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, बशर्ते कि इससे निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती हो।

मतदाता फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक, पिता, माता एवं पति का नाम तथा लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरंदाज कर देना चाहिये। मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते मतदाता की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके।

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

(अशोक प्रियदर्शी)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
बिहार

PR. No. 014018 (Election) 2026-27

नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।

124.47 लीटर शराब बरामद

नौतन। थाना क्षेत्र के दक्षिण तेलहुआ पंचायत स्थित शाह टोला में नौतन पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। शराब कन्हैया साह के दरवाजे से ई-रिक्शा पर लदी हुई बरामद की गई। पुलिस की इस कार्रवाई में कुल 124.47 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। हालांकि, पुलिस की भनक लगते ही कथित शराब कारोबारी मौके से फरार हो गया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद इलाके में शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस फरार कारोबारी की तलाश में जुटी है। बरामद शराब के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि नौतन थाना क्षेत्र में दो दिन पहले भी पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की थी। लगातार हो रही बरामदगी से क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार का मामला एक बार फिर चर्चा में है।

मिलेट्स हमारी प्राचीन संस्कृति और स्वस्थ जीवनशैली का आधार

एसएसबी 21वीं वाहिनी बगहा में संदीक्षा मिलेट्स मेला आयोजित

बगहा (आससे)। एसएसबी 21वीं वाहिनी बगहा द्वारा बुधवार को संदीक्षा अध्यक्षा श्रीमती कुसुम संगमा राउत एवं कमांडेंट तापेश्वर संबित राउत के कुशल निर्देशन में संदीक्षा मिलेट्स मेला - 2026 का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। जिसमें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती रश्मि रंजन उप सभापति नगर परिषद बगहा व अन्य विशिष्ट व्यक्ति शामिल हुए।इस अवसर पर संदीक्षा अध्यक्षा श्रीमती कुसुम संगमा राउत ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि संदीक्षा सशस्त्र सीमा बल की अधिकारियों एवं बलकर्मियों की पत्नियों के सामाजिक, शैक्षणिक और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स को भारत सरकार द्वारा 'श्री अन्न' का नाम दिया गया है और यह आयोजन स्वास्थ्य और सामाजिक दायित्व के सुंदर



संगम का प्रतीक है। मुख्य अतिथि श्रीमती रश्मि रंजन उप सभापति नगर परिषद बगहा ने अपने उद्बोधन में कहा कि उनका जुड़ाव 21वीं वाहिनी के संदीक्षा परिवार से हमेशा से रहा है। उन्होंने कहा कि संदीक्षा परिवार महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सामाजिक दायित्वों को बहुत सुंदर तरीके से निभा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले में आकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और यह आयोजन स्वस्थ भारत की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। कमांडेंट तापेश्वर संबित राउत ने अपने संबोधन में कहा कि मिलेट्स हमारी प्राचीन संस्कृति और स्वस्थ जीवनशैली का आधार है और ऐसे आयोजनों से न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है ।बल्कि हमारी संस्कृति भी सशक्त होती है।

उन्होंने सभी संदीक्षा सदस्याओं के प्रयासों की सराहना की।मेले में संदीक्षा सदस्याओं द्वारा मिलेट्स से बने स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। जिनमें बाजरा खीर, रागी पूरी-छोले, ज्वार टिक्की चाट, रागी इडली, ज्वार दही बड़ा, रागी मोमोज, बाजरा-रागी लिट्टी-चोखा, रागी मिल्क शेक, ज्वार पुलाव, ज्वार-बाजरा पकोड़ा आदि मुख्य आकर्षण रहे। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए गेम्स के स्टॉल एवं बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर वाहिनी के सभी अधिकारीगण, संदीक्षा सदस्याएं, अधीनस्थ अधिकारी, जवान, नवआरक्षी, मीडिया बंधु एवं क्षेत्र के गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहे।

'खेत बचाओ अभियान (रबी)' का शुभारंभ, 40 महिला किसानों ने लिया भाग

मझौलिया (पश्चिम चंपारण)। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), माधोपुर में रबी मौसम के अवसर पर 'खेत बचाओ अभियान (रबी)' का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में 40 महिला किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती, फसल सुरक्षा, कीट एवं रोग प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण तथा मृदा स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर डॉ. अभिषेक प्रताप सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, माधोपुर ने महिला किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि फसलों की बेहतर पैदावार और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए समय पर कृषि कार्य करना, खेतों की नियमित निगरानी करना तथा कीट एवं रोगों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने महिला किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने और उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। डॉ. नीरज, प्रभारी, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (आरआरएस) माधोपुर ने रबी फसलों में वैज्ञानिक अनुसंधान एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। डॉ. सौरभ दुबे, विषय वस्तु विशेषज्ञ (पादप संरक्षण), कृषि विज्ञान केंद्र, माधोपुर ने रबी फसलों में लगने वाले प्रमुख कीटों एवं रोगों की पहचान, उनकी रोकथाम तथा समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिला किसानों को अनावश्यक कीटनाशकों के प्रयोग से बचने, अनुशंसित कृषि रसायनों का सुरक्षित एवं उचित मात्रा में उपयोग करने तथा जैविक और पर्यावरण-अनुकूल फसल सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान श्री सुशील जायसवाल ने भी सहभागिता की और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने के महत्व पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर श्री अफरोज आलम, कर्मचारी, स्स्थ्रङ्कूस भी उपस्थित रहे। अभियान के माध्यम से महिला किसानों को रबी फसलों की सुरक्षा, उत्पादन लागत में कमी, मृदा स्वास्थ्य के संरक्षण तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम ने महिला किसानों को कृषि संबंधी वैज्ञानिक जानकारी से जोड़ने तथा खेती में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की।

फर्जी आईडी एवं धमकी में हुई काररवाई

बेतिया (पश्चिम चंपारण)। फर्जी सोशल मीडिया आईडी के माध्यम से अवांछित एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित किए जाने के मामले में पुलिस प्रशासन जाँच कर रहा है। कुछ फर्जी आईडी विदेशी मोबाइल नंबरों से संचालित होने की आशंका है। इनके वास्तविक संचालकों एवं संभावित सहयोगियों की पहचान के लिए तकनीकी जाँच आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के उपरांत उप महापौर गायत्री देवी एवं रमण गुप्ता ने साइबर थाना में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं, मेयर एवं उनके पति भी शिकायत करने साइबर थाना पहुँचे, जहाँ उनसे घंटों पूछताछ हुई। दूसरी ओर, रमण गुप्ता के आवेदन पर धमकी देने के आरोपित व्यक्ति से नगर थाना में घंटों पूछताछ की गई। इस मामले में बजरंग दल के जिलाध्यक्ष, जिलामंत्री, विभाग मंत्री और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी घंटों थाने में बैठकर उचित कार्रवाई की मांग की। जिला प्रशासन की साइबर सेल पूरी तन्मयता से अपना कार्य कर रही है। सभी कार्यकर्ताओं एवं जागरूक नागरिकों से अपील है कि वे संयम बनाए रखें।

बिहार सरकार

न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, सुपौल

फोन नं0–06473–223112 (कार्या0) 06473–224210 (फैक्स)

E-mail : legalsectionsupaul@gmail.com,

E-mail : dm-supaul.bih@nic.in

नामान्तरण पुनरीक्षण/जमाबंदी रद्दीकरण वाद संबंधी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि (1) पुनरीक्षणकर्त्ता निर्मली देवी, पति–योगेन्द्र पासवान, साकिन–चकला निर्मली, वार्ड नं0–06, पो0+थाना+जिला–सुपौल के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सुपौल के नामान्तरण अपील वाद सं0–167/2025–26 में दिनांक 03.07.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0–29/2026–27 दायर किया गया है।
(2) अपीलार्थी सुधीर प्रसाद, पे0–स्व0 नागेश्वर प्रसाद, साकिन+पो0–कोरियापट्टी, (प0) थाना–जदिया, जिला–सुपौल के द्वारा अपर समाहर्त्ता, सुपौल के जमाबंदी रद्द वाद सं0–58/2024–25, में दिनांक 23.06.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद सं0–08/2026–27 दायर किया गया है।
अतएव कॉलम 05 में अंकित विपक्षी वाद से संबंधित दावा/साक्ष्य के संबंध में यदि कोई सूचना देना चाहते है हो या दावा करना चाहते हो तो उक्त निर्धारित तिथि को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है।

नामान्तरण पुनरीक्षण/जमाबंदी रद्दीकरण वाद से संबंधित भूमि की सूची निम्न प्रकार है :–

Sl.	Case No.	Case Type	Petitioner VS Respondent	Address of Respondent	Land Detail	Next Date of Hearing
1	2	3	4	5	6	7
1	29/2026-27	नामान्तरण पुनरीक्षण वाद	निर्मली देवी, बनाम राजेन्द्र सुतिहार एवं राज्य	राजेन्द्र सुतिहार, पिता–स्व0 देव नारायण सुतिहार, साकिन–किशनपुर दक्षिण टोला–फुलकाहा, वार्ड नं0–11, थाना–किशनपुर, जिला–सुपौल	अंचल–सुपौल, मौजा–सुपौल चकला निर्मली, सुपौल नगरपालिका, वार्ड नं0–12(पु0), नगर परिषद, वार्ड नं0–27 (नया), थाना नं0–217, खाता 99 (नया), खेसरा 1723, रकवा 0–6.550 डी0	26-10-2026
2	08/2026-27	जमाबंदी रद्दीकरण अपील वाद	सुधीर प्रसाद बनाम मल्लो मंडल	मल्लो मंडल, पिता–मिश्री मंडल, सा0+पो0–कोरियापट्टी, (प0), वार्ड नं0–13, थाना–जदिया, जिला–सुपौल	मौजा–कोरियापट्टी, थाना–जदिया, जिला–सुपौल, खाता–777, खेसरा 4407 रकवा 0–18डी0, 0–09डी0, जमाबंदी नं0–4914/1419, 1127	26-10-2026

यदि निर्धारित तिथि को वर्णित वाद में कोई दावेदार या कोई सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखते है/कोई दावा नहीं करते है एवं उक्त वाद के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सक्षम प्राधिकार द्वारा उपर्युक्त वाद के संबंध में एकपक्षीय आदेश पारित किया जा सकता है।
यदि उपर्यक्त वर्णित भूमि से संबंधित किसी न्यायालय में **अपील/नामान्तरण** दायर किया गया हो या विचाराधीन हो तो इस संबंध में संबंधित पक्ष किसी भी कार्य दिवस को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना दे सकते हैं।
आज दिनांक– 09/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया।

PR- 014044 (District) 2026-27

समाहर्त्ता–सह–जिला दंडाधिकारी, सुपौल

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

माधोपुर पंचायत में चला स्वच्छता अभियान

गौनाहा (संवाद सूत्र) गौनाहा प्रखंड अंतर्गत माधोपुर पंचायत में स्वच्छता पर्यवेक्षक तारकेश्वर कुमार द्वारा दुर्गा



पूजा के अवसर पर चलाए गए स्वच्छता अभियान की सराहना हो रही है। उन्होंने पंचायत क्षेत्र में स्थित विभिन्न दुर्गा पूजा स्थलों पर बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया। तारकेश्वर कुमार के इस प्रयास से पूजा स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में काफी मदद मिली।उनके कार्यों की सराहना करते हुए माधोपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजा मिश्रा ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके प्रयासों की प्रशंसा की। राजा मिश्रा ने कहा कि त्योहारों के दौरान साफ-सफाई का विशेष महत्व होता है। ऐसे में स्वच्छता कर्मियों की सक्रियता और जिम्मेदारी से लोगों को स्वच्छ वातावरण मिलता है। स्वच्छता पर्यवेक्षक तारकेश्वर कुमार द्वारा बेहतर ढंग से सफाई अभियान चलाना सराहनीय है। तारकेश्वर कुमार के इस प्रयास को पंचायत में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और गौनाहा प्रखंड की पहचान बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है।

मनरेगा भवन से राजस्व, दस्तावेजों की चोरी

बगहा (आससे)। दुर्गा पूजा को लेकर सभी लोग अपने छुट्टी में व्यस्त थे। जहां कुछ अज्ञात बच्चों और कुछ लोगों द्वारा प्रखंड बगहा दो के मनरेगा कार्यालय में रखे सरकारी दस्तावेजों का जंगले की तरफ से चोरी करने की मामला सामने आया। बगहा दो अंचलाधिकारी वसीम अकरम और राजस्व पदाधिकारी रवि प्रकाश चौधरी को सूचना मिली की मनरेगा भवन में रखे पुराने राजस्व दस्तावेज, कार्बन रशीद और प्रखंड के दस्तावेज को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा निकाला कर ई रिक्शा से ले जाया जा रहा। जिसको लेकर सीओ वसीम अकरम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगहा दो के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ बच्चों और लोगों को दस्तावेजों की चोरी करते हुए देखा गया। यह घटना 19 अक्टूबर दुर्गा पूजा के छुट्टी के दिन हुई। पदाधिकारी द्वारा तुरंत निरीक्षण किया गया और सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कुछ बच्चों और अज्ञात लोगों के द्वारा ई-रिक्शा पर कागजातों को ले जा रहे रद्दी में बेचने के लिए हैं।

दो शराब तस्कर गिरफ्तार

योगापट्टी। योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के नवलपुर थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून के तहत पुलिस ने अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो अभियुक्तों को शराब के साथ पकड़ा गया, जबकि एक को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायालय भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवलपुर थाना कांड संख्या 235/26 के अभियुक्त शुद्धन मुखिया, पिता शुकदेव मुखिया, ग्राम नवलपुर निवासी को नवलपुर हाई स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 1.890 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वहीं, थाना कांड संख्या 237/26 के दूसरे अभियुक्त दुर्गेश मुखिया, पिता विश्वनाथ मुखिया, निवासी खलवा टोला, पिपरहिया को पुलिस ने कुट्टी के पास स्थित बसवारी से गिरफ्तार किया। उसके पास से 21 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद किया गया।

बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय

7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

अत्यावश्यक सूचना

सभी संबंधित को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार विधान परिषद् के पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक, तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक, दरभंगा स्नातक एवं दरभंगा शिक्षक, कोसी स्नातक तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के अवसर पर निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है। निर्वाचक की व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के पश्चात् ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के भी निर्वाचक होते हैं। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक होने के कारण निर्वाचकों की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गये हैं। ऐसे मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर निर्वाचक अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित कर मतदान में भाग ले सकते हैं। वैसे निर्वाचक जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है अथवा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग के द्वारा वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है, जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार हैः-

(i) आधार कार्ड,
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(iii) पैन कार्ड,
(iv) भारतीय पासपोर्ट,
(v) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान-पत्र,
(vi) सांसदों/विधायकों/पार्शदों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,
(vii) शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र,
(viii) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र,
(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र, और
(x) यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्वाचक द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा, बशर्ते कि इससे निर्वाचक की पहचान स्थापित हो जाती हो।

मतदाता फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक, पिता, माता एवं पति का नाम तथा लिंग, आयु या पता से संबंधित प्रविष्टियों में मामूली विसंगतियों को नजरंदाज कर देना चाहिये। मतदाता को मतदान करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते मतदाता की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके।

उक्त सूचना **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

(अशोक प्रियदर्शी)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
बिहार

PR. No. 014016 (Election) 2026-27

नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।